अजमेर : जे.एल.एन. अस्पताल के रेजिडेंट की पेन डाउन हड़ताल शुरू

उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत मामले में रेजिडेंट डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर गए

अजमेर, (कासं)। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार से पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। उदयपुर मेडिकल कॉलेज में वाटर कूलर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के विरोध में रेजीडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। मृतक डॉक्टर के परिवार को न्याय, सहायता और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दिलराज मीणा ने बताया कि चार दिन से रोज दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर सांकेतिक विरोध किया जा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया गया, जिससे मजबूर होकर बुधवार से सभी डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर हैं। सभी रेजिडेंट डॉक्टर आपातकालीन ईकाई के बाहर एकत्रित हुए और मृतक साथी डॉक्टर रवि शर्मा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए अस्पताल प्रशासन व राज्य सरकार से जल्द से जल्द मांगें पूरी करने की चेतावनी दी। रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रमुख मांग है कि जिस लापरवाह अधिकारी के कारण डॉ. रवि शर्मा की जान गई, उस पर सख्त कार्रवाई हो।

चिकित्सकों ने जेएलएन अस्पताल परिसर के गार्डन में मरीजों को देखा।

साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। मृतक डॉक्टर के परिवार को सहायता राशि व सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगें मान लेती है तो वे हड़ताल वापस ले लेंगे।

गार्डन में लगाई ओपीडी, देखा मरीजों को :-डॉ. दिलराज मीणा ने बताया कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार के चलते जेएलएन अस्पताल में आने वाले मरीजों को कोई परेशानी न हो इसके मद्देनजर रेजिडेंट चिकित्सकों ने अस्पताल के गार्डन में ही ओपीडी लगाई और इमरजेंसी सर्विस में सभी मरीजों को इलाज दिया, जिससे हड़ताल के कारण किसी भी मरीज को चिकित्सा सुविधा के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

अवकाश रद्द किए :-जेएएलन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए सभी कार्मिकों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। डॉ. सामरिया व डॉ. खरे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीनियर और सीनियर रेजिडेंट्स को मरीजों को चिकित्सा देने के लिए तैनात कर दिया है, सीनियर चिकित्सकों ने व्यवस्थाओं को संभाला है।

डॉ. शर्मा की मौत पर ब्राह्मण समाज ने उठाई न्याय की मांग : महाराणा भूपाल अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नरेश मुदगल ने बताया कि पूर्व में भी वाटर कूलर में करंट आने की शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही के चलते डॉक्टर की दर्दनाक मौत हुई। आरोप है कि प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेराफेरी की। ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही डॉ. शर्मा के परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।

सायबर ठगों को खाते उपलब्ध कराने वाले दो जने गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। सायबर थाना पुलिस ने ठगों को फ्रॉड की राशि के लिए खाते उपलब्ध करवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों को करीब 25 से 30 खाते उपलब्ध करवाए थे। वहीं एक खाते में फ्रॉड के 82 लाख रुपए आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

- एक खाते में 82 लाख आने पर मामला खुला, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी

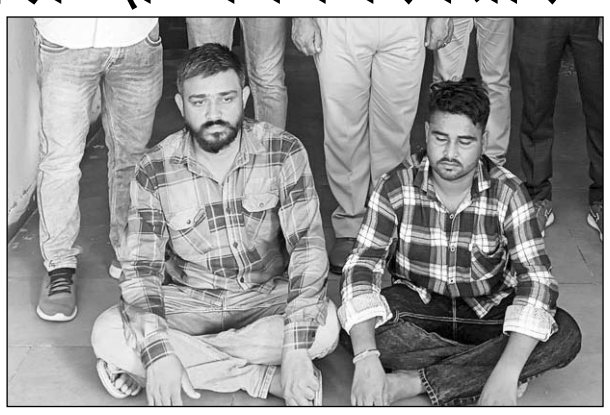

सायबर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

सायबर थाने के थानाधिकारी गिरधारीलाल ने बताया कि डूंगरपुर जिले के बथडी निवासी लालशंकर रोत ने सायबर थाने में 19 जून को एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि नवम्बर 2024 में उसके गांव का विक्रम मालीवाड अपने 3 साथियों के साथ घर पर आया था। जिसने एक स्कीम में पैन कार्ड मुफ्त में मिलने की बात बताई थी, जिसके लिए एक खाता खुलवाने के लिए कहा था। जिस पर विक्रम और उसके साथियों ने मेरे नाम से एक सिम खरीदी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक खाता खुलवाया। वहीं, उस खाते की बैंक डायरी, एटीएम व चेक बुक अपने पास रख ली। साथ ही जल्द ही पैन कार्ड आने की बात कही थी। कुछ दिन पहले लालशंकर बैंक गया और खाते का स्टेटमेंट मांगा तो बैंक वालों ने बताया कि तुम्हारे खाते में 82 लाख रुपए का संदिग्ध लेनदेन हुआ है। जिसके चलते खाते को फ्रीज कर दिया है। जिसके बाद लालशंकर ने आरोपी विक्रम मालीवाड, उसके साथ महावीर सिंहए घनश्याम कलाल और एक बैंक कार्मिक कौशल प्रजापत के खिलाफ धोखाधडी की रिपोर्ट सायबर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी महावीरसिंह व विक्रम मालीवाड को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लालशंकर सहित अन्य करीब 25 से 30 लोगों को पैन कार्ड व लोन दिलाने के नाम पर खाते खुलवाए और मोटा कमिशन लेकर उन खातों को ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले सायबर ठगों को दिए थे। वहीं, लालशंकर के खाते में भी फ्रॉड की राशि जमा हुई है। जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सायबर थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ के साथ अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।

सायबर थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने गरीब और अनपढ़ लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते खुलवाए। ये खाते सायबर ठगों को दे दिए। ठगों ने देशभर में 8 लोगों से ठगी की 1 करोड 61 लाख 19 हजार 919 रुपए की राशि डलवाई। जिसमें से 82 लाख रुपए रुपए की राशि सिर्फ एक खाते ने डाली गई। हालांकि पुलिस उन खातों की जांच कर रही है। पुलिस मामले में ठगों के सरगना तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

प्रदेश के दो बी.एड. कॉलेजों को लेकर आर.टी.आई. में खुलासा

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के दो बीएड कॉलेजों को लेकर आरटीआई में शिक्षा विभाग ने माना कि दोनों सरकारी बीएड कॉलेज उनके अधीन नहीं हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग सिर्फ बिल्डिंग के कारण इन दोनों कॉलेजों को छोड़ना नहीं चाहता। बचाने के लिए ना सिर्फ अपना स्टाफ लगाया, बल्कि यहां एनटीटी कोर्स भी शुरू कर दिया।

- शिक्षा विभाग ने माना कि दोनों सरकारी बीएड कॉलेज उनके अधीन नहीं हैं

बीकानेर के सरकारी बीएड टीटी कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। इसलिए वहां एडमिशन नहीं हो रहे। इसकी वजह कि यहां जो स्टाफ है वो स्कूली शिक्षा स्तर का है, जबकि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजों में पढ़ाने लायक शिक्षक चाहिए। स्कूल शिक्षा ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर नहीं सकता, इसीलिए एनसीटीई ने इसकी मान्यता रद्द हो गई। यहां बीएड में एडमिशन नहीं हो सकते। इसका अब एक ही रास्ता बचता है कि बीकानेर के कॉलेज को उच्च शिक्षा विभाग या महाराजा गंगासिंह विवि और अजमेर वाले को एमडीएस विवि के अधीन दे देना चाहिए ताकि दोनों सरकारी कॉलेज बच सके। अगर शिक्षा विभाग के अधीन रहे तो दोनों ही कॉलेजों पर ताला लगने की नौबत आ जाएगी। हैरानी की बात ये है कि शिक्षा विभाग आरटीआई में ये मान रहा कि ये कॉलेज उनके अधीन ही नहीं हैं। फिर भी इस कॉलेज को बचाने के लिए एनटीटी कोर्स और नया स्टाफ लगा रहा है। इसका सीधा सा मतलब निकाला जा रहा है कि शिक्षा विभाग सिर्फ बिल्डिंग बचाने के चक्कर में कोर्स और स्टाफ दे रहा है जबकि बीएड की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग को कोई चिंता नहीं। अगर यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी बीएड कॉलेज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस कॉलेज की मान्यता सितंबर 2022 में रद्द हो गई थी।

माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री रावत

भीलवाड़ा, (निसं)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को भीलवाड़ा जिले के नौगांव स्थित माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं गौशाला का निरीक्षण किया। मंत्री रावत ने परिसर में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के दौरान संस्थान के अध्यक्ष एवं गौ सेवा क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश द्वारा जल संसाधन मंत्री को संस्थान की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

- जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने श्री सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की
- रावत ने संस्थान में गौ संरक्षण, पंचगव्य चिकित्सा अनुसंधान, जैविक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना की

इस अवसर पर मंत्री रावत ने संस्थान में गौ संरक्षण, पंचगव्य चिकित्सा अनुसंधान, जैविक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं वैदिक परंपराओं का प्रभावी संवाहक है। उन्होंने कहा कि संस्थान की प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया। पंचगव्य चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में गौमूत्र, गोबर, दूध, दही एवं घी के उपयोग से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर विभिन्न रोगों के उपचार में सफलता प्राप्त की जा रही है। किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक खाद, कीटनाशकों एवं गौ-अमृत के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्थान का उद्देश्य गौपालकों एवं कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके। मंत्री रावत ने कहा कि यह केंद्र केवल एक गौशाला नहीं, बल्कि ग्रामीण नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक प्रेरणादायक मॉडल है। राज्य सरकार ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के अंत में मंत्री रावत ने संस्थान के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की और राज्य सरकार की ओर से यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंत्री रावत का स्वागत किया गया।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का मंदिर की ओर से स्वागत किया गया।

बॉर्डर के जिलों में ''पोर्टेबल आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब'' स्थापित होंगे

बीकानेर, (निसं)। पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर एरिया वाले जिलों के मेडिकल कॉलेजों में पोर्टेबल आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब स्थापित किए जाएंगे। इनमें 200 घायलों तक के उपचार के लिए सर्जिकल उपकरण और दवाएं होंगी। युद्ध जैसी स्थिति में इन्हें हवाई मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकेगा।

- ''पोर्टेबल आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब'' में 200 घायलों का उपचार किया जा सकेगा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री क्यूब स्थापित करने के लिए सहमति मांगी है। इसे आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित भीष्म क्यूब की तैनाती की पहल माना जा रहा है। यह क्यूब 200 घायलों के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें दो क्यूब शामिल हैं, जिनमें 338 आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे उन्नत ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, सर्जिकल उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू, वेंटिलेटर, पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरण और आरएफआईडी एकीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

हाल के सीमा पर हमलों और आपातकालीन तैयारियों की आवश्यकता को देखते हुए बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में एक भीष्म क्यूब स्थापित करने का प्रस्ताव परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। केंद्र सरकार इस क्यूब की खरीद, डिलीवरी और डॉक्टरों, नर्सों व पैरामेडिकल के प्रशिक्षण का पूरा खर्च वहन करेगी। इसे मिनटों में तैनात किया जा सकता है, जिससे संकट के बाद महत्वपूर्ण 'गोल्डन ऑवर' के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकती है।

उन्नत चिकित्सा उपकरण - पोर्टेबल वेंटिलेटर, मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर और सर्जिकल उपकरणों सहित चिकित्सा आपूर्ति की एक व्यापक श्रेणी से सुसज्जित है।

डॉ. गुंजन सोनी, प्रिंसिपल, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर का कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय का पत्र आया है। भीष्म क्यूब को लेकर विस्तृत दिशा निर्देशों का इंतजार है। इससे आपात परिस्थितियों में घायलों को तत्काल उपचार मिल सकेगा।

शराब ठेके में चोरी

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में ब्यावर मार्ग स्थित एक वाइन शॉप में चोरों ने खिड़की तोड़कर अंग्रेजी शराब की बोतलें और नगदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात का पता सुबह सेल्समैन के शॉप पहुंचने पर चला। सेल्समैन ने बताया कि सुबह जब वह शॉप पर पहुंचा और शॉप का लॉक खोला तो अंदर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। खिड़की टूटी मिली। कैश काउंटर में रखी नकदी भी गायब थी। सेल्समैन की सूचना पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी लेते हुये कार्रवाई शुरु की। पुलिस वारदात स्थल के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ शुरु की। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

- पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की

साठ लाख रुपये की शराब बरामद, तीन गिरफ्तार

दो अलग-अलग वाहन पिकअप ट्रोला में भरी मिली शराब को जब्त किया

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के भीनमाल पुलिस ने बुधवार को अवैध अंग्रेजी शराब के 413 कार्टून जब्त कर तस्करी में प्रयुक्त दो अलग-अलग वाहन पिकअप ट्रोला को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। उक्त बरामद अवैध शराब की अनुमानित बाजार कीमत साठ लाख रूपये आंकी गई है। तस्करी में प्रयुक्त जब्त पिकअप ट्रोलों की कीमत बीस लाख रूपये है।

जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे अभियान के तहत हाइवे नाकाबंदी, संदिग्ध स्थानों एवं वाहनों की संघन तलाशी ली जाकर जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। मोटाराम गोदारा अति. पुलिस अधीक्षक, जालोर एवं अन्नराजसिंह राजपुरोहित आरपीएस वृताधिकारी वृत भीनमाल, के निकटतम सुपरविजन में रामेश्वर भाटी निपु. थानाधिकारी पुलिस थाना भीनमाल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाने के सामने नाकाबंदी कर दो वाहन पिकअप ट्रोलों को रूकवाकर चालकों के नाम पता पूछकर तलाशी ली गई तो प्रथम वाहन पिकअप में अवैध शराब भरे तमाम कॉर्टूनों को नीचे उतारकर गिनती की गई, तो इनकी तादाद 203 कॉर्टून अंग्रेजी शराब व बीयर एवं द्वितिय पिकअप ट्रोला में भरे कॉर्टूनो को नीचे उतार कर गिनती की गई तो इनकी तादाद 210 कॉर्टून अंग्रेजी शराब व बीयर राजस्थान निर्मित बरामद किये गये। वहीं पिकअप चालकों व पास वाली सीट पर बैठे जालमसिंह पुत्र उतमसिंह निवासी कोडका पुलिस थाना करडा, सुरेश कुमार पुत्र गणेशाराम निवासी कोडका, पुलिस थाना करडा व कृष्ण कुमार पुत्र बगदाराम देवासी, निवासी कोडका, पुलिस थाना करडा, द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध राजस्थान निर्मित शराब कब्जे में रखकर परिवहन करने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। आरोपियो ने आबकारी शराब परिवहन संबंधित फर्जी मिमो बनाया जाकर बिना परमिट के अवैध शराब परिवहन की गई।

पुलिस ने शराब सहित आरोपियों को पकड़ा।

आना सागर चौपाटी स्ट्रीट वेंडर को अदालत बड़ी से राहत मिली

अजमेर, (कासं)। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर उत्तर अजमेर की न्यायाधीश तृप्ति जैन ने आना सागर चौपाटी के स्ट्रीट वेंडर को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 30 जून 2025 तक अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर राज्य सरकार जरिए जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को पाबंद फरमाया है।

- अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के आदेश जारी किये

आनासागर चौपाटी के 32 स्ट्रीट वेंडर की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका कर्ताओं के अधिवक्ता संजीव रोहिल्ला, विवेक पाराशर, रानू व्यास, उदय सिंह शेखावत के तर्कों से सहमत होते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश दिए, जिसकी दस्ती भी तत्काल ही याचिकाकर्ताओं व नगर निगम को प्रदत्त की गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अदालत में वादपत्र व अस्थाई निषेध आज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न्यायालय से याचिकार्ताओं ने ये अनुतोष चाह की उन्हें यथा स्थान वंडर जॉन नई चौपाटी रीजनल कॉलेज के सामने अपना व्यापार व्यवसाय का संचालन करने दे और उनके व्यापार, व्यवसाय में नगर निगम व राज्य सरकार के अधिकारीगण व कर्मचारीगण ठेकेदार असाइनिज को दखलअंदाजी नहीं करने के लिए पाबंद करने व उनके व्यवसाय में किसी प्रकार की बाधा अड़चन, रुकावट, अवरोध डाले बिना संचालन करने दे तथा उनके वेन ठेले इत्यादि को किसी भी प्रकार से न जप्त करें न जप्त करावे तथा नियम अनुसार माहवारी शुल्क किराया जमा कर नवीनीकरण करे। उक्त मामले में न्यायाधीश तृप्ति जैन ने सुनवाई करते हुए स्ट्रीट वेंडर की याचिका को अंतरिम तौर पर स्वीकार करने के आदेश पारित किया, जिससे स्ट्रीट वेंडर को अदालत से बड़ी राहत मिली है।

आना सागर चौपाटी के स्ट्रीट वेंडर को कोर्ट ने राहत दी।

याचिकाकर्ताओं कि अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत रूप से अपने व्यवसाय का पंजीकरण करवा रखा है और उसे संबंध में तमाम शुल्क नियमानुसार जमा करवाया जा रहा है तथा फूड लाइसेंस भी प्राप्त कर रखा है और पिछले 8 वर्षों से बतौर स्ट्रीट वेंडर उक्त वेंडिंग जॉन नई चौपाटी रीजनल कॉलेज के सामने अपना व्यापार व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। याचिकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत में याचिकर्ताओं के शैक्षणिक दस्तावेज भी पेश किया, जिसमें बताया गया कि कई स्ट्रीट वेंडर स्नातक व स्नातकोत्तर हिंदी में अंग्रेजी माध्यम से डिग्री होल्डर है, बावजूद बेरोजगारी से परेशान होकर स्ट्रीट वेंडर का काम करने को मजबूर में विवश है, उसके बावजूद उन्हें कार्य करने से अधिकृत लाइसेंसधारी ने शुल्क जमा करने में बिजली के बिलों का भुगतान करने कचरा संग्रहण की राशि जमा करने वह तमाम शुल्क अदा करने के बावजूद भी उनकी आजीविका के अधिकार से रोका जा रहा है तथा प्रशासन द्वारा जो भारत सरकार के विधि पर न्याय मंत्रालय द्वारा पारित अधिनियम पत्र विक्रेता जीविका संरक्षण और पाठ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को 30 दिन के नोटिस दिए बिना बिना उचित कारण के नहीं हटाया जा सकता न ही उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा सकता है।

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं कि अधिवक्ताओं ने निगम पर आरोप लगाया कि पथ विक्रेताओं के संबंध में कमेटी बनाने का भी प्रावधान है जिसमें 40 प्रतिशत सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स के होने जरूरी है, जबकि आज तक ऐसी कोई कमेटी स्ट्रीट वेंडर को साथ लेकर आज तक नहीं बनाई गई है उक्त वेंडरों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उनकी आजीविका यह भी प्रावधान है कि उनकी आजीविका उनके जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास सरकार में प्रशासन को करना चाहिए और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जानी चाहिए और यदि उन्हें किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, अधिनियम में पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने उनकी सामाजिक सुरक्षा करने और कल्याणकारी स्कीम बनाने व उनका बीमा करने का भी प्रावधान है, लेकिन उनका कल्याण करने की बजाय प्रशासन उनके अनर्थ करने पर जुटा है ऐसे में याचिकर्ताओं ने मजबूर होकर अदालत की शरण लेनी पड़ी प्रकरण की आगामी सुनवाई 30 जून 2025 को नियत की गई है।

विदेशी पिस्टल सहित एक गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक विदेशी पिस्टल सहित 13 जिंदा कारतूस बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में हथियार तथा कारतूस जीतू जोड़ी एवं प्रवीण जोड़ी से लेना सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस मामले आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गश्त के दौरान एजीटीएफ टीम चूरू की सूचना पर तारानगर पुलिया के पास आरोपी सुभाष सिंह राजपूत निवासी महलाना उतरादा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल 13 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने मामले मेंआर्म्स एक्ट तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस सम्बन्ध में ए जी टी एफ प्रभारी आईपीएस निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि बदमाशों को सहयोग करने संपर्क में रहने और उनको फॉलो करने वालों की सूची तैयार की जा रही है तथा तथा ऐसे लोगों पर पुलिस कड़ी निगरानी रखे हुए हैं जिनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।